प्रेस नोट   पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद   दिनांक 11.05.2024

थाना अंकुर विहार पुलिस टीम द्वारा डीएलएफ फ्लैट में हुई हत्या की घटना का सफल अनावरण कर अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

थाना अंकुर विहार क्षेत्र में दिनांक 08.05.2024 को डीएलएफ फ्लैट में शव मिलने सम्बन्ध में सूचना प्राप्त हुई थी। प्राप्त सूचना पर तत्काल थाना अंकुर विहार पुलिस मौके पर पहुँची तो शव सडी-गली अवस्था में था। जाँच एवं आस-पास के लोगों से पुछताछ करने पर मृतक की पहचान सकेन्द्र नि0 गांव पोस्ट पिपही धहेरवा थाना चिरया जिला मोतीहारी बिहार के रुप में हुई जिसकी जानकारी मृतक के परिजनों को दी गई। उक्त प्रकरण में आवश्यक कार्यवाही करते हुए घटना के अनावरण हेतु टीमों का गठन कर रवाना किया। प्रकरण के सम्बन्ध में वादी घनश्याम पुत्र महेन्दर राय नि0 गांव पोस्ट पिपही धहेरवा थाना चिरया जिला मोतीहारी बिहार द्वारा थाना अंकुर विहार पर अज्ञात व्यक्ति द्वारा वादी के भतीजे की हत्या के सम्बन्ध में तहरीर दी गई, जिसके आधार पर थाना अंकुर विहार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया।

घटना के अनावरण के क्रम में पतारसी/सुरागरसी व सर्विलांस सैल/सीसीटीवी फुटेज तथा मुखबिर खास की मदद से थाना अंकुर विहार पुलिस द्वारा घटना का सफल अनावरण करते हुए मृतक सकेन्द्र की गला घोटकर हत्या करने वाले अभियुक्त फईम पुत्र मुखत्यार नि0 नरौली थाना चंदौसी सम्भल हाल पता ब्रहमपुरी चौक जाफराबाद दिल्ली को दिनांक 11.05.24 को पुस्ता खजूरी मार्ग पर सीमेन्ट रोड से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त को मा0न्यायालय के समक्ष पेश किया जायेगा। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही प्रचलित है।

पूछताछ का विवरण- अभियुक्त फईम उपरोक्त द्वारा बताया गया कि मृतक सकेन्द्र ने उसे डेटिंग ऐप के माध्यम से सम्पर्क कर घटना स्थल वाले दिनांक 02.05.2024 को बुलाया था, जहाँ दोनो के मध्य शारीरिक सम्बन्ध बने थे, जिसके बाद मृतक सकेन्द्र ने अभि0 फईम से कहा कि मैने तेरी वीडियों बना ली है तथा अपने साथ रहने के लिये दवाब बनाने लगा। जिसके बाद दोनों में विवाद बढ़ गया तथा गुस्से में आकर अभियुक्त फईम द्वारा मृतक के पहने कपड़ो से ही फंदा बनाकर उसका गला घोटकर उसकी हत्या कर दी गई तथा उसके हाथ पैर बाँधकर फ्लैट से भाग गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

फईम पुत्र मुखत्यार नि0 नरौली थाना चंदौसी सम्भल हाल पता ब्रहमपुरी चौक जाफराबाद दिल्ली उम्र 38 वर्ष

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

थाना अंकुर विहार पुलिस टीम

थाना कौशाम्बी पुलिस टीम द्वारा 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से अवैध 54 पौव्वे देशी शराब मसालेदार फेलकोन सन्तरा हरियाणा मार्का बरामद।

दिनांक 11.05.2024 को थाना कौशाम्बी पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान मुखबिर खास की सूचना के आधार पर 02 अभियुक्त 1. जुबैर अली पुत्र मौ0 यासीन निवासी ग्राम मनवरिया ग्राम पंचायत सहजना रूपेडिया थाना रूपेडिया जिला-बहराइच उम्र 21 वर्ष, 2. विनय कुमार पुत्र विनोद कुमार निवासी ग्राम खिचडीपुर पेप्सीवाली गली थाना-कल्याणपुरी पूर्वी दिल्ली उम्र 22 वर्ष को अवैध 54 पौव्वे देशी शराब मसालेदार फलकोन सन्तरा हरियाणा मार्का सहित आनन्द विहार बॉर्डर के पास बने शौचालय के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त उपरोक्त के विरुध्द सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता

1. जुबैर अली पुत्र मौ0 यासीन निवासी ग्राम मनवरिया ग्राम पंचायत सहजना रूपेडिया थाना-रूपेडिया जिला-बहराइच उम्र 21 वर्ष।
2. विनय कुमार पुत्र विनोद कुमार निवासी ग्राम खिचडीपुर पेप्सीवाली गली थाना-कल्याणपुरी पूर्वी दिल्ली उम्र 22 वर्ष।

बरामदगी का विवरण

कब्जे से अवैध 54 पौव्वे देशी शराब मसालेदार फेलकोन सन्तरा हरियाणा मार्का बरामद।

अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास

- अभियुक्त जुबैर उपरोक्त के विरुध्द जनपद अलीगढ़ में एनडीपीएस एक्ट का 01 अभियोग पंजीकृत है।
- अभियुक्त विनय कुमार उपरोक्त के विरुध्द दिल्ली में चोरी व आयुध अधिनियम के 03 अभियोग पंजीकृत है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

कौशाम्बी पुलिस टीम।